# “सामान्य श्रेणी एवं आरक्षित श्रेणी के विद्यार्थियों हेतु शैक्षिक अवसरों की उपलब्धता पर दशमोत्तर छात्रवृति के प्रावधान की उपयोगिता का तुलनात्मक अध्ययन“

विद्या ददाति पात्रता

IIMT UNIVERSITY MEERUT

UGC Approved

Section 2(f) & 12B

शिक्षाशास्त्र विषय में
पी–एच.डी. की उपाधि हेतु
आई.आई.एम.टी. विश्वविद्यालय को
प्रस्तुत शोध की रूपरेखा

**वर्ष-2023**


शोध पर्यवेक्षक

डॉ0 संजीव कुमार

प्रोफेसर, कॉलेज ऑफ एजुकेशन,

आई.आई.एम.टी. विश्वविद्यालय, मेरठ

शोधार्थिनी

नीलम श्योरान

नामांकन संख्या **IIMTU/2199027**


## शोध संस्थान

## आई.आई.एम.टी. विश्वविद्यालय, मेरठ

## 1. प्रस्तावना

मनुष्य के उत्थान एवं प्रगति हेतु तथा उसके आचरण में वांछित परिवर्तन हेतु शिक्षा अनिवार्य है। शिक्षा वह प्रक्रिया है जो जीवन–पर्यन्त चलती है। मनुष्य का चहुँमुखी विकास शिक्षा के द्वारा सम्भव है। मानव जीवन को उन्नत खुशहाल बनाने हेतु शिक्षा सशक्त माध्यम है, क्योंकि शिक्षा के द्वारा ही व्यक्ति अपने वयक्तिगत एवं सामाजिक जीवन की उन्नति कर सकता है। मनुष्य जीवन में शिक्षा की जरूरतों को निम्नलिखित प्रकार से व्यक्त किया जा सकता हैं–

1. व्यक्ति के मानसिक एवं बौद्धिक विकास हेतु।
2. शारीरिक विकास हेतु।
3. मनुष्य के चारित्रिक/नैतिक विकास हेतु।
4. राष्ट्रीय विकास में सहायक।
5. अन्तर्राष्ट्रीय सद्भावना के विकास में सहायक।
6. मनुष्य को व्यावसायिक कौशल या आर्थिक कौशल (जीविकोपार्जन) की कला में सहायता प्रदान करने हेतु।

**टैगोर के शब्दों में** (संस्करण 2020)[1] ''शिक्षा मस्तिष्क को इस योग्य बनाती है कि वह सत्य की खोज कर सके''।

**काण्ट की अभिव्यक्ति** (संस्करण 2020)[1] शिक्षा व्यक्ति की वह पूर्णता है जिसकी उसमें क्षमता है।

**मेकेंजी का मत** (संस्करण 2020)[1] शिक्षा के संकुचित अर्थ का तात्पर्य बच्चों द्वारा उनकी शक्तियों के विकास के लिए चेतनापूर्ण प्रयास से हैं।

**जे०एस० मिल के शब्दों में** (संस्करण 2020)[1] एक संतति के लोग दूसरी संतति के लोगों में शिक्षा द्वारा संस्कृति का संक्रमण पहुँचाते हैं जिससे कि उनके द्वारा संस्कृति का संरक्षण सम्भव हो और उसमें सुधार भी हो सके।

**लॉक के अनुसार** (संस्करण 2020)[1] ''पौधों को कृषि के द्वारा और व्यक्ति का विकास शिक्षा के द्वारा होता है।''

अतः उपरोक्त विवेचन द्वारा विदित होता है कि मनुष्य के उन्नतिकरण हेतु शिक्षा एक अतिमहत्वपूर्ण तत्व है, जिसके अभाव में मनुष्य का विकास सम्भव नहीं है।

**भारतीय समाज की संरचना**

भारतीय समाज की संरचना सनातन काल से ही कर्म आधारित चार वर्गों में विभाजित रही है, जिनमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र सम्मिलित हैं। समय के साथ समाज में शैक्षिक असमानताओं को दूर करने तथा विद्यार्थियों के शैक्षिक स्तर को उन्न्त करने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा अनेक योजनाएँ संचालित की जा रही हैं, जिनमें निःशुल्क नामांकन, दशमोत्तर छात्रवृत्तियाँ, निःशुल्क कोचिंग तथा अन्य शैक्षिक सहायता कार्यक्रम प्रमुख हैं।

इन प्रयासों के बावजूद यह देखा गया है कि आरक्षित वर्गों के अनेक विद्यार्थी शिक्षा के प्रति अपेक्षाकृत कम संवेदनशील पाए जाते हैं, जिसका एक प्रमुख कारण योजनाओं के प्रति जागरूकता का अभाव है। शहरी क्षेत्रों में निवास करने वाले सामान्य एवं आरक्षित वर्ग के विद्यार्थियों को शिक्षा के समान अवसर अपेक्षाकृत अधिक सुलभ एवं समान रूप से उपलब्ध हो जाते हैं, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले विद्यार्थियों को शिक्षा प्राप्त करने में अनेक कठिनाईयों का सामना करना पड़ता हैं। इनमें यातायात के साधनों की कमी, जानकारी का अभाव, निर्धनता तथा सामाजिक–आर्थिक बाधाएं प्रमुख हैं। यद्यपि सरकार द्वारा विभिन्न माध्यमों से शैक्षिक योजनाओं का व्यापक प्रचार–प्रसार किया जाता है, तथापि यह देखा गया हैं कि आरक्षित वर्गों के अनेक विद्यार्थी शिक्षा के प्रति अपेक्षित स्तर की संवेदनशीलता एवं जागरूकता नहीं प्रदर्शित कर पाते। इसके पीछे सामाजिक–आर्थिक पिछड़ापन, सूचना का अभाव तथा पारिवारिक परिस्थितियाँ जैसे कारण उत्तरदयी हैं। जनसंचार माध्यमों के माध्यम से सरकार द्वारा योजनाओं से संबंधित सूचनाएँ निरंतर प्रसारित की जाती हैं, किंतु इनका लाभ सभी वर्गों तक समान रूप से नहीं पहुँच पाता।

शहरी क्षेत्रों में निवास करने वाले सामान्य एवं आरक्षित वर्ग के विद्यार्थियों को शैक्षिक संसाधनों, संस्थानों तथा सुविधाओं की सुलभता के कारण अपेक्षाकृत समान एवं व्यापक शैक्षिक अवसर प्राप्त होते हैं। इसके विपरीत ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले विद्यार्थियों को शिक्षा ग्रहण

करने में अनेक संरचनात्मक बाधाओं का सामना करना पड़ता है। इनमें यातायात सुविधाओं का अभाव, आर्थिक निर्धनता, शैक्षिक जागरूकता की कमी तथा सामाजिक–आर्थिक सीमाएँ प्रमुख रूप से सम्मलित हैं। ये सभी कारक मिलकर शैक्षिक अवसरों की समान उपलब्धता में असंतुलन उत्पन्न करते हैं, जिससे दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनाओं की उपयोगिता एवं प्रभावशीलता का तुलनात्मक अध्ययन अत्यंत प्रासंगिक हो जाता है। बालक की शिक्षा में घर का शैक्षिक, व्यावसायिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक वातावरण तथा परिवार के सदस्यों का शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सामान्यतः उच्च वर्गीय परिवारों में बालकों की अभिवृत्तियाँ अपेक्षाकृत अधिक विस्तृत होती हैं, क्योंकि वहाँ संसाधनों की पर्याप्त उपलब्धता के कारण विचारों एवं क्रियाकलापों को व्यापक रूप से विकसित करने के अधिक अवसर प्राप्त होते हैं। इसके विपरीत, शिक्षा को अत्यधिक महत्त्व देने वाला कोई निर्धन अभिभावक अपने बच्चों को ज्ञानार्जन के अवसर उपलब्ध कराने हेतु अनेक प्रकार के त्याग करने को तत्पर रहता है, तथापि सीमित संसाधनों के कारण उनके बच्चों की अभिव्यक्तियाँ अपेक्षाकृत संकुचित रह जाती हैं। अन्य शब्दों में कहा जा सकता है कि बालक को मिलने वाला प्रोत्साहन एवं प्रेरणा उसके शैक्षिक निष्पादन को प्रत्यक्ष रूप से प्रभवित करते है। इस विवरण से स्पष्ट होता है कि आधुनिक समय में सभी जाति एवं वर्गों के अधिगमकर्ताओं के दो प्रमुख समूह स्पष्ट रूप से परिलक्षित होते हैं। प्रथम समूह उन विद्यार्थियों के परिवारों का है जो विशिष्ट सुविधाओं से सम्पन्न हैं। यह समूह सामान्यतः शिक्षित होता है तथा विभिन्न प्रकार के व्यवसायों एवं उच्च पदों पर आसीन रहता है। इस वर्ग में पीढ़ी–दर–पीढ़ी शिक्षा प्राप्त करने की परंपरा देखने को मिलती है, जहाँ दादा–दादी एवं माता–पिता पहले से शिक्षित होते हैं। शिक्षा के महत्त्व को भली–भाँति समझने के कारण ऐसे परिवार अपने बालकों को शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराने, अधिक से अधिक प्रयास करने हेतु प्रोत्साहित करने तथा समय–समय पर उचित शैक्षिक मार्गदर्शन प्रदान करने में सक्षम होते हैं, जिसके परिणामस्वरूप बालकों का सर्वांगीण विकास होता है।

द्वितीय समूह उन विद्यार्थियों के परिवारों का है जो शिक्षा के प्रति न तो पर्याप्त रूप से जागरूक होते हैं और न ही सक्रिय रूप से प्रेरित। इन परिवारों की आर्थिक एवं सामाजिक परिस्थियाँ प्रायः शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण को नकारात्मक रूप से प्रभावित करती हैं। निर्धन परिवारों के अनेक छात्र अपनी कमजोर आर्थिक स्थिति के कारण शिक्षा को पूर्ण रूप से जारी नहीं रख पाते। यद्यपि ऐसे कई छात्र अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाना चाहते हैं, परंतु आर्थिक बाधाएँ उनके मार्ग में प्रमुख अवरोध बन जाती हैं। इस संदर्भ में उल्लेखनीय है कि भारत सरकार द्वारा पूर्व–माध्यमिक एवं उत्तर–माध्यमिक स्तर पर अनेक छात्रवृत्ति योजनाएँ संचालित की जा रही हैं, जिनके माध्यम से निर्धन एवं वंचित वर्ग के छात्र–छात्राएँ शिक्षा के समान अवसर प्राप्त कर सकते है।

1. केन्द्रीय क्षेत्र छात्रवृत्ति योजना (सी. एस. एस.एस)
2. राष्ट्रीय साधन सह–योग्यता छात्रवृत्ति योजना।
3. ए.आई.सी.टी.ई. प्रगति छात्र योजना।
4. प्रधानमंत्री अनुसंधान फैलोशिप (पी.एम.आर.एफ.)।
5. प्रधानमंत्री छात्रवृत्ति योजना (2023)।

1. **केन्द्रीय क्षेत्र छात्रवृत्ति योजना (सी.एस.एस.एस)** यह छात्रवृत्ति केवल कॉलेज और यूनिवर्सिटी के अधिगमकर्ताओं हेतु उपलब्ध है आर्थिक रूप से कमजोर मेघावी छात्र इस छात्रवृत्ति के लिए पात्र हैं। 12वीं कक्षा में 80 प्रतिशत या उससे अधिक अंक वाले छात्र जिनकी आय प्रतिवर्ष रूपये 6 लाख से नीचे है वे इस योजना के पात्र है।

**2. राष्ट्रीय साधन सह योग्यता छात्रवृत्ति योजना** – आठवीं कक्षा के बाद आर्थिक रूप से कमजोर मेघावी छात्र इस छात्रवृत्ति से लाभान्वित हो सकते हैं यह छात्रवृत्ति हर साल एक लाख छात्रों को प्रदान की जाती है।

3. **ए.आई.सी.टी.ई. प्रगति छात्र योजना–** ए.आई.सी.टी.ई. केवल छात्राओं के लिए उपलब्ध है। सरकार हर साल ऐसी 5000 छात्रवृत्तियां प्रदान करती है।

4. **प्रधानमंत्री अनुसंधान फैलोशिप (पी.एम.आर.एफ.)**– शोध प्रवृत्ति को बढावा देने के लिए छात्रों को प्रधानमंत्री रिसर्च फैलोशिप प्रदान की जाती है। अर्थात पी.एम. आर.एफ. कार्यक्रम विज्ञान प्रोद्योगिकी इंजीनियरिंग कृषि और चिकित्सा के क्षत्र में पी.एच.डी. स्तर के अनुसंधान के लिए है। यह विमान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड (एस.ई.आर.बी) और भारतीय उद्योग परिसंघ (सी.आई.आई.) के बीच एक सहयोगात्मक प्रयास है।

5. **प्रधानमंत्री छात्रवृत्ति योजना (2023)**– यह योजना उप विद्यार्थियों के लिए है जो – उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए मेहनत तो करते हैं पर आर्थिक संकट के चलते अपने सपनों को पूरा करने में असमर्थ रहते हैं। यह योजना उन विद्यार्थियों को आगे बढ़ने में प्रोत्साहन देती है। जिनको अपने सपने पूरे करने में दिक्कत आती है जो सैनिक आतंकित हमले में शहीद हो जाते हैं उनके बच्चों को प्रोत्साहन देने के लिए प्रधानमंत्री छात्रवृत्ति योजना प्रदान की जाती है।

**उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही छात्रवृत्ति कार्यक्रमों के प्रकार–**

1. प्री–मैट्रिक (पूर्व माध्यमिक) स्कॉलरशिप योजना
2. पोस्ट मैट्रिक (उत्तर माध्यमिक) स्कॉलरशिप योजना
3. मेरिट कम मीन्स स्कालरशिप योजना
4. प्रोफेशनल कोर्स (व्यवसायिक पाठ्यक्रम) स्कॉलरशिप योजना।

1. **प्री–मैट्रिक (पूर्व माध्यमिक) स्कॉलरशिप योजना**– यह छात्रवृत्ति की एक व्यापक श्रेणी है जो प्री मैट्रिक स्तर यानि कक्षा 10वीं तक की स्कूली शिक्षा में पढने वाले विद्यार्थियों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

2. **पोस्ट मैट्रिक (उत्तर माध्यमिक) स्कॉलरशिप योजना** – सामाज में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गो के उन छात्रों को सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली आर्थिक मदद है जिन्होंने केवल 10वीं + 2 वर्ष की अन्य परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है और हायर एजूकेशन प्राप्त करना चाहते हैं।

3. **मेरिट कम मीन्स स्कालरशिप योजना–** यह स्कॉलरशिप उन विद्यार्थियों के लिए है जिन्होंने अपनी 12वीं परीक्षा में उच्च अंक प्राप्त किये हैं और स्नातक अथवा परास्नातक शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं।

4. **प्रोफेशनल कोर्स (व्यवसायिक पाठ्यक्रम) स्कॉलरशिप योजना** – यह स्कॉलरशिप उन छात्रों के लिए है जो इंजीनियरिंग मैडिकल और मैनेजमेंट जैसे प्रोफेशनल जैसे कोर्स कर रहे हैं।

## 2. सम्बंधित साहित्य का अध्ययन

दशमोत्तर छात्रवृत्ति से संबंधित शोध साहित्य का अध्ययन इस प्रकार है–

**महालेखा परीक्षक (सीएजी) की रिपोर्ट (2022)[2]** में दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनाओं के वित्तीय एवं प्रशासनिक पक्षों का समालोचनात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया गया है। रिपोर्ट के अनुसार योजनाओं के लिए पर्याप्त बजट उपलब्ध होने के बावजूद धनराशि के समय पर वितरण में असमानता पाई गई है। रिपोर्ट में यह भी उल्लेख किया गया है कि कुछ राज्यों में योजनाओं का क्रियान्वयन अपेक्षाकृत बेहतर है, जबकि अनेक राज्यों में प्रशासनिक अक्षमताओं, निगरानी के अभाव तथा प्रक्रियात्मक जटिलताओं के कारण योजनाओं की प्रभावशीलता एवं उपयोगिता प्रभावित होती है। निष्कर्ष रूप से यह कहा गया है कि प्रभावी निगरानी तंत्र एवं पारदर्शी प्रशासनिक व्यवस्था के अभाव में दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनाएँ अपने निर्धारित उद्देश्यों को पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं कर पा रही हैं।

**शर्मा (2021)[3]** ने दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनाओं के क्रियान्वयन में आने वाली प्रशासनिक एवं प्रक्रियात्मक समस्याओं का अध्ययन किया। अध्ययन में यह पाया गया कि आवेदन प्रक्रिया की जटिलता, दस्तावेज सत्यापन में विलंब तथा तकनीकी समस्याओं के कारण अनेक पात्र विद्यार्थी छात्रवृत्ति के लाभ से वंचित रह जाते हैं। शोध निष्कर्षों के अनुसार, यदि योजनाओं का प्रभावी एवं पारदर्शी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए, तो ये योजनाएँ शैक्षिक अवसरों की समानता स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं।

**पब्लिक अफेयर्स सेंटर (2021)[4]** द्वारा किए गए राज्य–स्तरीय मूल्यांकन अध्ययन में दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनाओं के प्रभाव का विश्लेषण किया गया है। अध्ययन से यह स्पष्ट हुआ कि छात्रवृत्ति योजनाओं ने आर्थिक रूप से कमजोर एवं आरक्षित श्रेणी के विद्यार्थियों के लिए उच्च शिक्षा तक पहुँच को सुगम बनाया। तथापि, जागरूकता की कमी तथा संस्थागत स्तर पर सहयोग के अभाव के कारण अनेक विद्यार्थी योजना के पूर्ण लाभ से वंचित रह गए। अध्ययन में यह भी उल्लेख किया गया है कि शहरी क्षेत्रों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यार्थियों को अधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।

**कुमार एवं वर्मा (2020)[5]** ने अपने अध्ययन में दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनाओं और उच्च शिक्षा में नामांकन के मध्य संबंध का विश्लेषण किया। अध्ययन में यह स्पष्ट हुआ कि जिन विद्यार्थियों को समय पर छात्रवृत्ति प्राप्त हुई, उनमें उच्च शिक्षा में प्रवेश एवं अध्ययन जारी रखने की प्रवृत्ति अधिक पाई गई। शोध निष्कर्षों से यह भी ज्ञात हुआ कि आरक्षित श्रेणी के विद्यार्थियों के लिए यह योजना शैक्षिक अवसरों की उपलब्धता को बढ़ाने का एक प्रभावी साधन है, जबकि सामान्य श्रेणी के विद्यार्थियों के लिए यह योजना सहायक तो है, परंतु निर्णायक भूमिका में नहीं दिखाई देती।

**सिंह (2019)[6]** ने अपनी अप्रकाशित पी–एच.डी. थीसिस में सामान्य श्रेणी एवं आरक्षित श्रेणी के विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनाओं का शैक्षिक अवसरों पर पड़ने वाले प्रभाव का तुलनात्मक अध्ययन किया। अध्ययन का मुख्य उद्देश्य यह जानना था कि छात्रवृत्ति प्रावधान उच्च शिक्षा में प्रवेश, अध्ययन की निरंतरता तथा शैक्षिक प्रगति को किस प्रकार प्रभावित करते हैं। अध्ययन से यह निष्कर्ष प्राप्त हुए कि आरक्षित श्रेणी के विद्यार्थियों के लिए दशमोत्तर छात्रवृत्ति आर्थिक बाधाओं को कम करने में अधिक सहायक सिद्ध हुई, जबकि सामान्य श्रेणी के विद्यार्थियों में इसका प्रभाव अपेक्षाकृत सीमित पाया गया। साथ ही यह भी पाया गया कि भुगतान में विलंब, जानकारी का अभाव तथा जटिल प्रक्रियाएँ दोनों वर्गों के विद्यार्थियों के लिए प्रमुख समस्या बनी रहीं।

**पटेल, एस. (2019)**[7] ने अपने शोध अध्ययन में दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनाओं की भूमिका का विश्लेषण शैक्षिक अवसरों की उपलब्धता एवं विद्यार्थियों की अध्ययन निरंतरता के संदर्भ में किया। इस अध्ययन का प्रमुख उद्देश्य यह जानना था कि आर्थिक रूप से कमजोर पृष्ठभूमि से आने वाले विद्यार्थियों के लिए दशमोत्तर छात्रवृत्ति किस सीमा तक उच्च शिक्षा में सहायक सिद्ध हो रही है। अध्ययन से यह निष्कर्ष प्राप्त हुए कि छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों में उच्च शिक्षा में नामांकन बनाए रखने की प्रवृत्ति अधिक पाई गई तथा आर्थिक दबाव में कमी आने वसे उनके शैक्षिक प्रदर्शन में भी सुधार हुआ। तथापि, अध्ययन में यह भी पाया गया कि आवेदन प्रक्रिया की जटिलता, समय पर राशि का न मिलना तथा योजना संबंधी अपर्याप्त जानकारी के कारण अनेक पात्र विद्यार्थी योजना के पूर्ण लाभ से वंचित रह जाते हैं। शोधकर्ता ने निष्कर्षतः यह उल्लेख किया कि यदि दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनाओं का प्रभावी, पारदर्शी एवं क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए, तो ये योजनाएँ शैक्षिक समानता स्थापित करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं।

**राजपूत, के. (2018)**[8] ने अपने शोध ''**छात्रवृत्ति योजनाओं से नामांकन एवं शैक्षणिक निरंतरता पर प्रभाव**'' में यह अध्ययन किया कि छात्रवृत्ति मिलने से विद्यार्थियों की शिक्षा–सततता (Retention) तथा विद्यालय एवं कॉलेजों में नामांकन पर क्या प्रभाव पड़ता है। अध्ययन का उद्देश्य छात्रवृत्ति प्राप्त और गैर–प्राप्त विद्यार्थियों के शैक्षणिक प्रदर्शन, उपस्थिति, नियमितता तथा विद्यालय छोड़ने की प्रवृत्ति की तुलना करना था। शोधकर्ता ने 30 विद्यालयों के 500 विद्यार्थियों पर तुलनात्मक अध्ययन किया। अध्ययन में यह पाया गया कि छात्रवृत्ति प्राप्त विद्यार्थियों का विद्यालय छोड़ने का प्रतिशत अत्यंत कम है तथा उनकी अध्ययन–सामग्री की उपलब्धता, उपस्थिति, परीक्षा प्रदर्शन और शिक्षण गतिविधियों में सहभागिता अधिक पाई गई। आर्थिक बोझ कम होने पर परिवारों का सहयोग भी बढ़ता है। अध्ययन का परिणाम बताता है कि छात्रवृत्ति योजनाएँ विद्यार्थियों की शिक्षा–सततता सुनिश्चित करने का एक प्रभावी साधन हैं और विद्यालय–स्तर पर नामांकन वृद्धि का प्रत्यक्ष कारण भी हैं।

**दवे, जे. पी. (2016)[9]** ने अपने अनुसंधान ''**दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनाओं के क्रियान्वयन में प्रशासनिक बाधाएँ एवं सुधार की संभावनाएँ**'' में छात्रवृत्ति वितरण प्रणाली के प्रशासनिक पहलुओं का गहन अध्ययन किया। अध्ययन का उद्देश्य PG एवं व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के विद्यार्थियों को मिलने वाली छात्रवृत्ति के क्रियान्वयन में आ रही कठिनाइयों की पहचान करना तथा उनके समाधान हेतु सुझाव प्रदान करना था। शोधकर्ता ने 400 कॉलेज छात्रों, 25 प्राध्यापकों और छात्रवृत्ति विभाग के अधिकारियों से साक्षात्कार के माध्यम से विस्तृत जानकारी एकत्र की। अध्ययन में पाया गया कि पोर्टल की तकनीकी समस्याएँ, दस्तावेज सत्यापन में देरी, धनराशि के वितरण में विलंब तथा प्रशासनिक जटिलताएँ छात्रों के लिए प्रमुख बाधाएँ हैं। यह भी पाया गया कि ऑनलाइन प्रणाली पारदर्शी अवश्य है, परंतु तकनीकी सहायता की कमी और जागरूकता के अभाव के कारण कई छात्र आवेदन पूरा नहीं कर पाते। अध्ययन संकेत देता है कि यदि तकनीकी सुधार, समयबद्धता और सरल प्रक्रिया लागू की जाए तो छात्रवृत्ति योजनाओं की प्रभावशीलता कई गुना बढ़ सकती है।

**सिंह, आर. (2015)[10]** ने ''**सामान्य वर्ग के विद्यार्थियों हेतु उपलब्ध शिक्षा सहायता योजनाओं का विश्लेषण**'' विषय पर शोध किया जिसमें सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों के लिए केंद्र एवं राज्य सरकारों द्वारा संचालित योजनाओं की स्थिति, उपयोगिता और प्रभाव का आकलन किया गया। अध्ययन का उद्देश्य हैं छात्रों के लिए उपलब्ध छात्रवृत्ति और शुल्क–रियायत योजनाओं के प्रति जागरूकता, उनकी पहुँच तथा इन योजनाओं का शैक्षणिक उपलब्धि पर प्रभाव जानना था। शोधकर्ता ने 250 विद्यार्थियों, 20 शिक्षकों एवं 10 प्राचार्यों से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर निष्कर्ष निकाले। अध्ययन से यह पता चला कि सामान्य वर्ग के विद्यार्थियों में सरकारी सहायता योजनाओं की जागरूकता अत्यंत कम है, जिसके कारण वे लाभ से वंचित रह जाते हैं। आर्थिक सहायता प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की उपस्थिति, अध्ययन सामग्री की उपलब्धता तथा परीक्षा–प्रदर्शन में सकारात्मक वृद्धि पाई गई। अध्ययन यह दर्शाता है कि सामान्य वर्ग के लिए उपलब्ध योजनाएँ पर्याप्त हैं, किन्तु उनकी जानकारी का अभाव एक प्रमुख समस्या है।

**ठाकुर, विवेक (2014)**[11] ने अपने अध्ययन **''आरक्षित वर्ग के विद्यार्थियों के शैक्षिक अवसरों पर छात्रवृत्ति योजनाओं का प्रभाव''** में आरक्षित वर्ग (SC/ST/OBC) के विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध सरकारी सहायता योजनाओं की उपयोगिता, उपलब्धता और प्रभावशीलता का गहन विश्लेषण किया। इस शोध का मुख्य उद्देश्य आरक्षित वर्ग के छात्रों में छात्रवृत्ति योजनाओं के कारण उत्पन्न शैक्षणिक प्रगति, विद्यालय उपस्थिति, शैक्षिक सुविधाओं की उपलब्धता तथा परीक्षा–प्रदर्शन के प्रभावों का अध्ययन करना था। शोधकर्ता ने 200 आरक्षित वर्ग विद्यार्थियों तथा 30 शिक्षकों से प्रश्नावली और साक्षात्कार के माध्यम से डेटा संग्रह किया। अध्ययन में यह पाया गया कि छात्रवृत्ति मिलने से विद्यार्थियों की पढ़ाई से संबंधित आवश्यक सामग्रियों (पुस्तकें, गणवेश, शुल्क) की उपलब्धता बेहतर हुई, और शिक्षा छोड़ने की प्रवृत्ति में उल्लेखनीय कमी देखी गई। योजनाओं के क्रियान्वयन में देरी एक प्रमुख बाधा के रूप में सामने आई। अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि छात्रवृत्ति आरक्षित वर्ग के शैक्षिक सशक्तिकरण का एक प्रभावी माध्यम है, विशेषकर तब जब योजनाओं का समयबद्ध वितरण सुनिश्चित किया जाए।

**मोहन (2010)**[12] **''केंद्र एवं राज्य सरकार की छात्रवृत्ति योजनाओं के क्रियान्वयन एवं प्रभाव''** में भारत में संचालित विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं के कार्यान्वयन तथा उनके प्रभावों का विस्तृत अध्ययन किया। अध्ययन का मुख्य उद्देश्य केंद्र एवं राज्य सरकारों द्वारा चलाई जा रही छात्रवृत्ति योजनाओं की उपलब्धता, उनकी जानकारी, वितरण प्रणाली तथा इनसे सामान्य व आरक्षित वर्ग के विद्यार्थियों को होने वाले प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष लाभों का विश्लेषण करना था। शोधकर्ता ने वर्णनात्मक सर्वेक्षण विधि का प्रयोग करते 300 विद्यार्थियों, 50 शिक्षकों तथा 10 विद्यालय प्राचार्यों से सूचना संकलित की। अध्ययन से पाया गया कि छात्रवृत्ति योजनाओं के प्रति जागरूकता का स्तर बहुत कम है तथा आवेदन प्रक्रिया जटिल होने के कारण अनेक विद्यार्थी लाभ से वंचित रह जाते हैं। आरक्षित वर्ग के विद्यार्थियों में योजनाओं का उपयोग अपेक्षाकृत अधिक पाया गया जबकि सामान्य वर्ग में योजनाओं की अपर्याप्त जानकारी के कारण असंतोष देखा गया। अध्ययन में यह भी पाया गया कि छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों में अध्ययन के प्रति उत्साह,

नियमितता तथा परीक्षा परिणामों में उल्लेखनीय सुधार होता है। शोध से यह संकेत मिलता है कि योजनाएँ प्रभावी हैं, परंतु सूचना एवं प्रक्रिया–सुधार की व्यापक आवश्यकता है।

**पाण्डेय (2008)[13]** ''राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त पिछड़ा वर्ग (OBC) पोस्ट–मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाओं के प्रभाव का अध्ययन'' यह शोध विशेष रूप से ओबीसी वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों के उच्च शिक्षा में नामांकन और उनकी शैक्षणिक प्रगति को समझने हेतु किया गया। अध्ययन में 150 विद्यार्थियों को शामिल किया गया और डेटा प्रश्नावली, विभागीय अभिलेखों और संस्थागत रिपोर्टों से एकत्र किया गया। निष्कर्षों से ज्ञात हुआ कि छात्रवृत्ति लागू होने के बाद ओबीसी विद्यार्थियों के उच्च शिक्षा नामांकन में 22 प्रतिशत वृद्धि हुई। आर्थिक सहायता मिलने से निजी महाविद्यालयों में ओबीसी छात्रों की भागीदारी भी बढ़ी। कई विद्यार्थियों ने बताया कि छात्रवृत्ति उनकी शिक्षा जारी रखने का प्रमुख साधन रही। अध्ययन में यह भी पाया गया कि कुछ जिलों में दस्तावेज सत्यापन प्रक्रिया जटिल और समय लेने वाली थी, जिसके कारण छात्रवृत्ति मिलने में विलंब होता था। यह अध्ययन आपके शोध के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह आरक्षित वर्ग के शैक्षिक अवसरों, छात्रवृत्ति की प्रभावशीलता और नामांकन में वृद्धि के बीच स्पष्ट संबंध प्रस्तुत करता है।

**शर्मा (2005)[14] ''केंद्र सरकार की पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के प्रभाव का अध्ययन''** यह शोध विशेष रूप से अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों के शैक्षिक अवसरों की उपलब्धता को समझने के लिए किया गया था। अध्ययन का उद्देश्य योजना की वास्तविक पहुँच, उपयोग और शैक्षणिक उपलब्धियों पर इसके प्रभाव का विश्लेषण करना था। शोधकर्ता ने 10 महाविद्यालयों के 200 छात्रों का चयन कर प्रश्नावली और साक्षात्कार दोनों विधियों का प्रयोग किया। अध्ययन में पाया गया कि ग्रामीण क्षेत्रों के लगभग आधे विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति की पूरी जानकारी नहीं थी, जिसके कारण कई योग्य छात्र आवेदन ही नहीं कर पाए। छात्रवृत्ति वितरण में औसतन 3–5 माह की देरी देखने में आई, जिससे छात्रों की आर्थिक कठिनाई बढ़ती थी। इसके बावजूद, छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाले छात्रों की शैक्षणिक उपलब्धि में उल्लेखनीय सुधार पाया गया और आर्थिक बोझ कम होने से उनकी पढ़ाई की निरंतरता मजबूत हुई। यह अध्ययन

स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि आरक्षित वर्ग के विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति योजनाएँ उच्च शिक्षा में प्रवेश और निरंतरता को प्रोत्साहित करती हैं।

पूर्ववर्ती अध्ययनों से स्पष्ट होता है कि दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनाएँ विशेषकर आरक्षित श्रेणी के विद्यार्थियों के लिए उच्च शिक्षा में पहुँच बढ़ाने में सहायक रही हैं, किंतु प्राशसनिक जटिलताओं एवं भुगतान में विलंब के कारण इनकी प्रभावशीलता सीमित रह जाती है। अधिकांश अध्ययनों में किसी एक वर्ग या योजनाओं के क्रियान्वयन पक्ष पर ही ध्यान दिया गया है। सामन्य एवं आरक्षित श्रेणी के विद्यार्थियों हेतु शैक्षिक अवसरों की उपलब्धता पर दशमोत्तर छात्रवृत्ति प्रावधानों की तुलनात्मक उपयोगिता का समग्र अध्ययन अपेक्षाकृत कम पाया जाता है। इसी शोध–अंतराल की पूर्ति हेतु वर्तमान अध्ययन दोनों श्रेणियों के संदर्भ में इस विषय का तुलनात्मक विश्लेषण प्रस्तुत करता है।

## 3. शोध अन्तराल

प्रत्येक विद्यार्थी अपने निर्धारित लक्ष्य एवं उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु निरंतर परिश्रम करता है। अनेक विद्यार्थियों को अपने लक्ष्यों तक पहुँचने के लिए विभिन्न प्रकार के शैक्षिक, आर्थिक एवं सामाजिक अवरोधों का सामना करना पड़ता है। इसके बावजूद वे दृढ़ संकल्प के साथ इन बाधाओं पर नियंत्रण प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। विद्यार्थियों की इस संघर्षशील प्रक्रिया में सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली प्रदेशीय दशमोत्तर छात्रवृत्तियाँ उन्हें प्रोत्साहन, सहयोग एवं सुरक्षा की भावना प्रदान करती हैं, जिससे उनकी शैक्षिक निरंतरता बनी रहती है।

संबंधित साहित्य के समालोचनात्मक अध्ययन के आधार पर शोधार्थिनी ने यह पाया कि वर्ष 2024 तक छात्रवृत्ति से संबंधित अनेक शोध कार्य किए गए हैं, किंतु अधिकांश शोध अध्ययन आरक्षित श्रेणी के विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि, समायोजन क्षमता अथवा अन्य मनोवैज्ञानिक एवं सामाजिक पक्षों तक ही सीमित रहे हैं। छात्रवृत्ति के प्रावधानों के आधार पर शैक्षिक अवसरों की उपलब्धता एवं उनकी उपयोगिता से संबंधित तुलनात्मक एवं समग्र शोध कार्यों का स्पष्ट अभााव परिलक्षित होता है।

अतः उपर्युक्त शोध अंतराल को दृष्टिगत रखते हुए शोधार्थिनी द्वारा प्रस्तुत शोध शीर्षक का चयन किया गया है जिससे सामान्य एवं आरक्षित श्रेणी के विद्यार्थियों हेतु दशमोत्तर छात्रवृत्ति के प्रावधानो की उपयोगिता तथा शैक्षिक अवसरो की उपलब्धता का वैज्ञानिक एवं तथ्यापरक अध्ययन किया जा सके।

## 4. शोध समस्या का औचित्य

किसी भी राष्ट्र की प्रगति उसके विवेकशील, शिक्षित एवं जागरूक नागरकों द्वारा निर्धारित होती है। प्रजातांत्रिक व्यवस्था की स्थिरता एवं निरंतर उन्नति शिक्षा के अभाव में अधूरी मानी जाती है। इसी कारण प्रत्येक राष्ट्र अपने नागरिकों को शिक्षित करने हेतु निरंतर प्रयासरत रहता है। निभिन्न सरकारी रिपोटों, आयोगों, समाचार–पत्रों एवं पत्र–पत्रिकाओं में प्रकाशित आँकड़ों से यह स्पष्ट होता है कि विकासशील राष्ट्रों में शिक्षा के प्रसार के प्रतिशत में असमानता विद्यमान है, जिसके परिणामस्वरूप सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षिक विविधताएँ उत्पन्न होती हैं। एक शिक्षित समाज ही सामाजिक वास्तविकताओं का दर्पण बनकर समस्याओं की पहचान कर सकता है तथा शोध के माध्यम से उनके समाधान खोजने में सक्षम होता है। अतः प्रस्तुत शोध समस्या का चयन अत्यंत प्रासंगिक एवं औचित्यपूर्ण है।

## 5. शोध समस्या कथन

सामान्य श्रेणी एवं आरक्षित श्रेणी के विद्यार्थियों हेतु शैक्षिक अवसरों की उपलब्धता पर दशमोत्तर छात्रवृत्ति के प्रावधान की उपयोगिता का तुलनात्मक अध्ययन।

## 6. शोध समस्या में प्रयुक्त शब्दों की व्याख्या

### 1. सामान्य श्रेणी

प्रस्तुत अध्ययन में सामान्य श्रेणी से आशय उन विद्यार्थियों से है जो भारत सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग अथवा अन्य किसी आरक्षण श्रेणी के अंतर्गत नहीं आते हैं तथा सामान्य श्रेणी में अध्ययनरत होते हैं।

## 2. आरक्षित श्रेणी

आरक्षित श्रेणी से अभिप्राय उन विद्यार्थियों से है जो संविधान द्वारा मान्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अन्य आरक्षित वर्गों में सम्मिलित हैं तथा जिन्हें सामाजिक, शैक्षिक एवं आर्थिक उत्थान हेतु विशेष सुविधाए एवं आरक्षण प्रदान किया जाता है।

## 3. शैक्षिक अवसरों की उपलब्धत

शैक्षिक अवसरों की उपलब्धता से तात्पर्य विद्यार्थियों को प्राप्त शिक्षा संबंधी सुविधाओं से है, जिनमें शैक्षिक संस्थानों तक पहुँच, प्रवेश की समान संभावनाएँ, छात्रवृत्तियाँ, आर्थिक सहायता, शैक्षणिक संसाधन, अधिगम वातावरण एवं उच्च शिक्षा प्राप्त करने के अवसर सम्मिलित हैं।

## 4. दशमोत्तर छात्रवृत्ति

दशमोत्तर छात्रवृत्ति से आशय उस वित्तीय सहायता से है जो केंद्र अथवा राज्य सरकार द्वारा दसवीं कक्षा के बाद अध्ययनरत विद्यार्थियों को उनकी शैक्षिक निरंतरता बनाए रखने, आर्थिक बाधाओं को कम करने एवं उच्च शिक्षा हेतु प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से प्रदान की जाती है।

## 7. शोध उद्देश्य

1. विभिन्न एजेंसियों (केंद्रीय, राज्य तथा संस्थाएँ) द्वारा प्रदान किए जाने वाले शैक्षिक अवसरों का विश्लेषण करना।
2. आरक्षित श्रेणी के विद्यार्थियों के लिए दशमोत्तर स्तर पर उपलब्ध शैक्षिक अवसरों का अध्ययन करना।
3. सामान्य श्रेणी के विद्यार्थियों के लिए दशमोत्तर स्तर पर उपलब्ध शैक्षिक अवसरों का अध्ययन करना।
4. सामान्य एवं आरक्षित श्रेणी के उच्च माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध शैक्षिक अवसरों का तुलनात्मक अध्ययन करना।

5. सामान्य एवं आरक्षित श्रेणी के उच्च माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों के लिए दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनाओं से संबंधित केंद्र एंव राज्य सरकारों के प्रावधानों का विश्लेषण करना।
6. उच्च माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों द्वारा दशमोत्तर छात्रवृत्ति तक पहुँच, आवेदन प्रक्रिया एवं उनके उपयोग की स्थिति का विश्लेषण करना।
7. उच्च माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों के शैक्षिक अवसरों पर दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनाओं की उपयोगिता एवं प्रभाव के संबंध में शिक्षकों एवं प्रधानाचार्यों के दृष्टिकोण का समीक्षात्मक अध्ययन करना।

## 8. शोध अवधारणाएँ

शोध में निरूपित उद्देश्यों को दृष्टिगत रखते हुए निम्नलिखित शोध अवधारणओं को उल्लेखित किया गया है–

1. विभिन्न एजेंसियों (केंद्रीय, राज्य तथा संस्थाएं) द्वारा उपलब्ध शैक्षिक अवसरों में एकरूपता है।
2. आरक्षित श्रेणी के विद्यार्थियों के लिए दशमोत्तर स्तर पर उपलब्ध शैक्षिक अवसरों में कोई भेदभाव नहीं होता।
3. सामान्य श्रेणी के विद्यार्थियों के लिए दशमोत्तर स्तर पर उपलब्ध शैक्षिक अवसरों में भी भेदभाव की प्रवृत्ति प्रदर्शित नहीं होती।
4. सामान्य श्रेणी उच्च माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों हेतु शैक्षिक अवसर, आरक्षित श्रेणी की तुलना में अधिक हैं।
5. सामान्य एवं आरक्षित श्रेणी उच्च माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों के लिए केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध दशमोत्तर छात्रवृत्ति प्रावधानों में कोई विभेदीकरण नहीं है।
6. उच्च माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों को दशमोत्तर छात्रवृत्ति की प्रक्रिया की जानकारी में अंतर विद्यमान है।

7. उच्च माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों के शैक्षिक अवसरों पर दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनाओं की उपयोगिता एवं प्रभाव के संबंध में शिक्षकों एवं प्रधानाचार्य के दृष्टिकोण में सार्थक अंतर विद्यमान है।

## 9. शोध विधि

प्रस्तुत शोध कार्य के निर्धारित उद्देश्यों की पूर्ति हेतु वर्णनात्मक शोध प्रारूप के अंतर्गत सर्वेक्षणात्मक शोध विधि का प्रयोग किया गया है। इस शोध विधि के माध्यम से सामान्य वर्ग एवं आरक्षित वर्ग के उच्च माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों हेतु उपलब्ध शैक्षिक अवसरों की स्थिति तथा दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना से संबंधित विभिन्न पक्षों के प्रति विद्यार्थियों के दृष्टिकोण, अनुभव एवं जागरूकता का व्यवस्थित एवं यथार्थपरक अध्ययन किया गया है।

## 10. शोध जनसंख्या

प्रस्तुत शोध कार्य की शोध जनसंख्या में उत्तर प्रदेश राज्य के जनपद मेरठ की मवाना तहसील में स्थित उच्च माध्यमिक विद्यालयों से संबंधित प्रधानाचार्य, शिक्षक एवं विद्यार्थी सम्मिलित हैं। ये सभी दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना तथा शैक्षिक अवसरों की उपलब्धता से प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संबंधित हैं।

अतः मवाना तहसील के उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत प्रधानाचार्य एवं शिक्षक तथा वहाँ अध्ययनरत सामान्य एवं आरक्षित श्रेणी के विद्यार्थी इस शोध की शोध जनसंख्या के रूप में शामिल किए गए हैं।

## 11. शोध न्यायदर्श

प्रस्तुत शोध के अंतर्गत जनपद मेरठ की मवाना तहसील से कुल 20 उच्च माध्यमिक विद्यालयों का चयन किया गया है। चयनित विद्यालयो से शोध न्यायादर्श निम्नुसार निर्धारित किया गया है–

1. प्रधानाचार्य – 20

   (प्रत्येक चयनित विद्यालय से एक प्रधानाचार्य)

2. शिक्षक – 200

( प्रत्येक चयनित विद्यालय से 10 शिक्षक)

3. विद्यार्थी –400

- सामान्य श्रेणी के विद्यार्थी – 200
- आरक्षित श्रेणी के विद्यार्थी – 200

## 12. शोध न्यायदर्श तकनीकी

इस शोध में नमूना चयन हेतु यादृच्छिक नमूना चयन तकनीकी (लॉटरी विधि) का प्रयोग किया गया है। अध्ययन क्षेत्र में स्थित कुल 46 उच्च माध्यमिक विद्यालयों में से लॉटरी विधि द्वारा 20 उच्च माध्यमिक विद्यालयों का चयन किया गया है।

चयनित 20 उच्च माध्यमिक विद्यालयों में से प्रत्येक विद्यालय से 01 प्रधानाचार्य, 10 शिक्षक,तथा 20 विद्यार्थी (जिसमें 10 सामान्य श्रेणी एवं 10 आरक्षित श्रेणी के विद्यार्थी सम्मिलित हैं) को नमूने के रूप में लिया गया है। 20 प्रधानाचार्य, 200 शिक्षक, 400 विद्यार्थी।

## 13. शोध उपकरण

प्रस्तुत शोध कार्य में दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना एवं शैक्षिक अवसरों की उपलब्धता के संदर्भ में उच्च माध्यमिक स्तर के शिक्षकों एवं प्रधानाचार्यों के विचारों एवं अनुभवों तथा विद्यार्थियों के शैक्षिक अवसरों की उपलब्धता से संबंधित विचारों एवं अनुभवों को जानने हेतु एक स्वनिर्मित प्रश्नवली का निर्माण किया गया है।

इसके अतिरिक्त, विद्यार्थियों की दशमोत्तर छात्रवृत्तिर योजना के प्रति जाएरूकता का अध्ययन करने हेतु एक अन्य स्वनिर्मित प्रश्नवली भी शोधार्थिनी द्वारा अपने पर्यवेक्षक के मार्गदर्शन में तैयार की गई है।

## (क) दशमोत्तर छात्रवृत्ति उपादेयता अभिमत प्रश्नावली

यह प्रश्नावली दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना की उपादेयता के प्रति उत्तरदाताओं के अभिमत, अनुभव एवं दृष्टिकोण को अध्ययन करने हेतु विकसित की गई है। इस प्रश्नावली को सात आयामों में विभाजित किया गया है–

1. शैक्षिक जागरूकता एवं रुचि
2. आर्थिक संचेतन
3. शैक्षिक संवर्धन
4. अंतःप्रेरणा
5. शैक्षिक अवसरों की उपलब्धता
6. नामांकन वृद्धि
7. छात्रवृत्ति उपलब्धता से संबंधित चुनौतियाँ

इन आयामों के माध्यम से यह आंकलन किया गया है कि दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों की शैक्षिक जागरूकता, आर्थिक स्थिति, प्रेरणा स्तर, शैक्षिक अवसरों की प्राप्ति एवं नामांकन वृद्धि को किस सीमा तक प्रभावित कर रही है तथा योजना के क्रियान्वयन में विद्यमान चुनौतियों का विश्लेषण भी किया गया है।

## (ख) दशमोत्तर छात्रवृत्ति प्रावधान प्रश्नावली

यह प्रश्नावली छात्रवृत्ति योजना से संबंधित प्रवधानों, प्रक्रियाओं एवं संतुष्टि स्तर का अध्ययन करने हेतु विकसित की गई है। इसमें छः आयाम सम्मिलित हैं–

1. दशमोत्तर छात्रवृत्ति से संबंधित सूचनाएँ
2. योग्या एवं आवेदन प्रक्रिया का अनुभव
3. शैक्षिक अवसरों की उपलब्धता
4. पहुँच एवं बाधाएँ
5. छात्रवृत्ति धनराशि का उपयोग

6. संतुष्टि का स्तर

इन आयामों के माध्यम से यह ज्ञात किया गया कि छात्रवृत्ति योजना के प्रावधान कितने सुलभ, प्रभावी एवं संतोषजनक हैं तथा विद्यार्थियों की शैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति में उनकी भूमिका कितनी है।

## 14. शोध सीमांकन

प्रस्तुत शोध अध्ययन निम्नलिखित सीमाओं तक सीमिति है–

1. सामान्य श्रेणी के अन्तर्गत (वैष्णव, सुनार, ब्राह्मण, राजपूत) के विद्यार्थियों को सम्मिलित किया गया है।
2. आरक्षित श्रेणी के अन्तर्गत (जाटव, हरिजन, खटीक) के विद्यार्थियों को सम्मिलित किया है।
3. प्रस्तुत अध्ययन में उत्तर प्रदेश राज्य से मेरठ जनपद की मवाना तहसील के उच्च माध्यमिक स्तर के सरकारी, अर्द्धसरकारी व गैर–सरकारी विद्यालयों में कार्यरत प्रधानाचार्यों, शिक्षकों तथा अध्ययनरत विद्यार्थियों को सम्मिलित किया गया है।
4. प्रस्तुत शोध अध्ययन में मेरठ जनपद की मवाना तहसील के अंतर्गत संचालित 46 उच्च माध्यमिक विद्यालयों में से 20 उच्च माध्यमिक विद्यालयों को अध्ययन में सम्मिलित किया गया है।

# सन्दर्भ सूची

[1] Education (edition;2020 [publications of jrueman's-speific seriess] पृष्ठ संख्या–1।

[2] भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG). (2022). दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनाओं के क्रियान्वयन एवं वित्तीय प्रबंधन पर लेखा–परीक्षा प्रतिवेदन, नई दिल्लीः भारत सरकार।

[3] शर्मा, एन, (2021), दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनाओं के क्रियान्वयन में प्रशासनिक बाधाएँ एवं शैक्षिक प्रभाव समकालीन शिक्षा अध्ययन जर्नल, 8(1), 66–79।

[4] पब्लिक अफेयर्स सेंटर (PAC). (2021), दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनाओं का राज्य–स्तरीय मूल्यांकन प्रतिवेदन, बेंगलुरूः पब्लिक अफेयर्स सेंटर।

[5] कुमार, एस. एवं वर्मा, पी. (2020), दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनाओं का उच्च शिक्षा में नामांकन पर प्रभाव, भारतीय शिक्षा शोध पत्रिका, 12(2), 45–58।

[6] सिंह, आर. (2019), अनुसूचित जाति एवं सामान्य वर्ग के विद्यार्थियों हेतु दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना का शैक्षिक अवसरों पर प्रभावः एक तुलनात्मक अध्ययन (अप्रकाशित पीएच.डी. शोध–प्रबंध), शिक्षा संकाय, भारतीय विश्वविद्यालय।

[7] पटेल, एस. (2019), दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनाओं का आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों की उच्च शिक्षा पर प्रभाव, शोध पत्र, सामाजिक विज्ञान अध्ययन केंद्र, भारत।

[8] राजपूत, के. (2018), OBC छात्रवृत्ति और उच्च शिक्षा नामांकन पर प्रभाव दिल्ली नीति शोध केन्द्र।

[9] दवे, जे. पी. (2016), केंद्र सरकार की छात्रवृत्ति योजनाएँः डिजिटल कार्य – निष्पादन, अहमदाबादः शिक्षा अध्ययन संस्थान।

[10] सिंह, आर. के. (2015), सामान्य व आरक्षित वर्ग के शैक्षिक अवसरों का तुलनात्मक अध्ययन, वाराणसीः ज्ञानदीप प्रकाशन।

[11] ठाकुर, विवेक (2014), राज्य छात्रवृत्ति वितरण प्रणालीः एक विश्लेषण. भोपालः मध्यभारत प्रकाशन।

[12] मोहन, एस. (2010), सामान्य वर्ग के विद्यार्थियों हेतु शैक्षिक सहायता योजनाएँ. जयपुर : राजस्थानी प्रकाशन।

[13] पाण्डेय, के. (2008), पिछड़ा वर्ग छात्रवृत्ति एवं शैक्षिक अवसर. लखनऊ : भारतीय अध्ययन संस्थान।

[14] शर्मा, आर. (2005), पोस्ट–मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना का प्रभाव अध्ययन, नई दिल्लीः शिक्षा प्रकाशन।